विचार बिन्दु

क्रोध यमराज है। –चाणक्य

एक देश, एक चुनाव- संभावना और चुनौतियां

भारत सरकार ने पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की संभावना का परीक्षण करने एवं संविधान संशोधनों की आवश्यकता पर विचार करने हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया। इस समिति ने राजनैतिक दलों, विशेषज्ञों आदि से विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति में सदस्यों के रूप में अमित शाह, गृहमंत्री भारत सरकार, गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता, एन के सिंह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉ सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव, श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, विशेष आमंत्रित अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, कानून एवं न्याय सम्मिलित हैं। समिति के सचिव डॉ नितिन चंद्रा थे।

इस उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राजनैतिक दलों और विधि विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया। समिति ने नागरिकों से भी इस बारे में सुझाव मांगे जिसके उत्तर में कुल 21558 सुझाव प्राप्त हुए। अधिकांश ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया। जिन विशेषज्ञों से समिति ने चर्चा की, उनमें भारत के उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख उच्च न्यायालयों के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चार पूर्व चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आठ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त एवं विधि आयोग के अध्यक्ष प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ने कई व्यावसायिक संगठनों जैसे फिक्की, सी आई आई एसोचेम के प्रतिनिधियों एवं अर्थशास्त्रियों से भी विचार-विमर्श किया। इन व्यावसायिक संगठनों ने यह विचार व्यक्त किया कि लगातार चुनाव होते रहने से आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इससे प्रभावित होते हैं।

प्राप्त सुझावों के परीक्षण और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से गहन विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने एक साथ चुनाव कराने का कार्य दो चरणों में करने हेतु सिफारिश की है। पहले चरण में, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने की अनुशंसा की गई है। दूसरे चरण में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी इनके साथ कराए जाने की सिफारिश की है। ये चुनाव, लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव पूरे होने के बाद 100 दिनों के में कराए जा सकते हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सभी चुनावों के लिए, एक ही मतदाता सूची का प्रयोग होना चाहिए।

भारत का निर्वाचन आयोग कई सालों से एक साथ सारे चुनाव कराने की बात करता रहा है। आयोग द्वारा इस हेतु निम्न मुख्य आधार बताये गये हैं:-

1. एक साथ चुनाव कराने से, बहुत बड़ी धनराशि जो बार-बार चुनाव कराने पर व्यय की जाती है, उससे बचा जा सकता है।

2. मतदाता सूचियां का बार-बार पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केवल 5 वर्ष में एक बार ही इसे बनाना होगा।

3. बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों (जिनकी संख्या लगभग 25 लाख है) को बार-बार चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाना पड़ेगा। फलस्वरुप सरकारी कामकाज विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होगा।

4. चुनाव के कारण, सरकारी विभागों के काम एक प्रकार से रुक जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव संहिता के चलते ,नीति गत निर्णय नहीं हो पाते हैं।

5. चुनावों के कारण कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण भी चुनाव अवधि में नहीं किया जा सकते हैं। इससे भी सरकारी कामकाज बहुत विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

6. राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को भी बार-बार चुनाव लड़ने के हेतु बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है।

विधि आयोग यह सिफारिश करता रहा है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ कराए जाएं।

संसद की विधि और न्याय से संबंधित स्थाई समिति ने भी 2015 में इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।

उच्च स्तरीय समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से अपनी राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपनी राय समिति को भेजी। इनमें से 32 दलों ने इसके पक्ष में अपनी राय रखी और 15 ने इसका विरोध किया।

यह उल्लेखनीय है कि कुल छह राष्ट्रीय दलों में से केवल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इस अवधारणा का समर्थन किया एवं शेष चार राष्ट्रीय दल जैसे आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार का विरोध किया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों ने भी 'एक देश, एक चुनाव' का विरोध किया। इन दलों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, डी एम के, समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 'एक देश, एक चुनाव' का सिद्धांत आदर्श स्थिति में तो अच्छा है, किंतु वास्तव में आदर्श स्थितियां देश में विद्यमान नहीं हैं। संभव है, सबसे बड़े दल को ऐसा लगता होगा कि केंद्र और सभी राज्यों पर उसका एकाधिकार हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर चले जाएंगे।

अधिकांश प्रमुख विपक्षी दलों ने इस आधार पर 'एक देश, एक चुनाव' का विरोध किया कि यह संविधान में निहित संघीय ढांचे पर चोट करता है। इन्होंने यह भी कहा कि कुछ अधिक खर्च होने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि इससे संसदीय प्रणाली जो कि संविधान प्रदत्त है, की रक्षा होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विचार-विमर्श हेतु अपना कोई प्रतिनिधि समिति के समक्ष नहीं भेजा।

समिति ने चार पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों अचल कुमार जोति, ओ पी रावत, सुनील अरोड़ा एवं सुशील चंद्र से भी चर्चा की। सबने एक साथ चुनाव कराने पर बल दिया।

समिति ने अपनी, रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2019 से 23 तक प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में चुनाव होते रहे। इसके कारण सभी विकास कार्य, नीति गत निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती रही। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं सरकार के मंत्री शासन चलाने के काम को छोड़कर लगभग पूरा समय चुनाव संबंधी कार्य में ही लगे रहे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बार-बार चुनाव होने से मतदाता में चुनाव के प्रति थकान (Voter fatigue) उत्पन्न हो जाती है जो मतदाता को उदासीन बना देती है।

हर समय चुनाव होते रहने के और भी दुष्प्रभावों की समिति ने चर्चा की है। कानून और व्यवस्था में लगे हुए अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस को चुनावी ड्यूटी में लगाना होता है, जिसके कारण अपराध पर नियंत्रण पूरी तरह नहीं हो पाता है। निरंतर चुनाव प्रचार होने के कारण, समाज में कटुता एवं वैमनस्यता बढ़ती है। बार-बार चुनाव होने के कारण, प्रवासी मजदूरों के मतदान के लिए अपने-अपने गांव/ शहर में जाने के कारण, औद्योगिक और सर्विस क्षेत्र में काम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

समिति ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया कि यदि किसी विधानसभा अथवा लोकसभा को पांच साल से पहले भंग करना पड़े तो, मध्यावधि चुनाव, 5 साल में से शेष बची हुई अवधि के लिए ही होगा, ताकि अगले चुनाव सब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव के एक साथ ही हो सके।

'एक देश, एक चुनाव' की व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए समिति ने संविधान में कई संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। समिति की अनुशंसा के अनुसार संविधान के जिन अनुच्छेदों को संशोधित करना होगा, वे इस प्रकार हैं:- 83 (2), 83 (3) (2), 83 (4), 172(1), 172 (3), 172 (4), 82A (1), 82A (2), 82A (3), 82A (4), 82A (5), 324A, 325 (2), 325(3), 327।

पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना प्रथम दृष्टया, बहुत सरल और आवश्यक लगती है, किंतु इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे प्रमुख तो संविधान संशोधन को पारित कराना है जिसके लिए संसद में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। शायद इसीलिए, लोकसभा चुनावों में 'अबकी बार 400 पार' का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। कुछ संशोधन जैसे- अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 324 ऐसे भी हैं, जिनके लिए आधी से अधिक विधानसभाओं का अनुमोदन भी लेना होगा।

'एक चुनाव एक देश' के सम्बन्ध में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और सब चुनावों पर राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को उठाना पड़ेगा जिनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। भारत, अत्यंत विविधताओं से भरा हुआ देश है और केवल प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक साथ चुनाव कराने का निर्णय लेने से पहले, इसके सम्भावित दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि 'एक देश, एक चुनाव' के कारण कहीं 'एक देश, एक चुनाव और एक दल' की स्थिति न बनकर रह जाए। फिर भारत की भी वही स्थिति हो सकती है जैसी रूस अथवा चीन में है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वास्तव में सत्ता धारी दल की 'एक देश, एक चुनाव' की मंशा होती तो वह बिना किसी संविधान संशोधन के भी उन भाजपा शासित प्रदेशों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करवा सकता था, जहां 2024, 2025 में चुनाव होने हैं। इसके लिए केवल इन राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की सिफारिश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती थी। ऐसा करके वे अपनी साफ़ नीयत प्रदर्शित कर सकता था।

यह सुझाव भी बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि 5 वर्ष से पूर्व बीच में यदि किसी भी विधानसभा और लोकसभा को भंग किया जाता है तो मध्य अवधि चुनाव उसे 5 वर्ष की अवधि के शेष समय के लिए ही कराए जाएं। इससे चुनाव की गंभीरता पर प्रश्न चिह्न लगेगा एवं कई दल एवं नेता शायद केवल एक या दो वर्ष के लिए चुनाव में भाग नहीं लेना चाहेंगे।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 'एक देश, एक चुनाव' का सिद्धांत आदर्श स्थिति में तो अच्छा है, किंतु वास्तव में आदर्श स्थितियां देश में विद्यमान नहीं हैं। संभव है, सबसे बड़े दल को ऐसा लगता होगा कि केंद्र और सभी राज्यों पर उसका एकाधिकार हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर चले जाएंगे। फ़िलहाल तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि चुनाव आयोग लंबित चुनाव सुधार करके, चुनावों को अनावश्यक व्यय, बाहुबल और आपराधिक तत्त्वों के प्रभाव से मुक्त करा सके।

देखना है कि जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने दे दी है, वह किस प्रकार से क्रियान्वित हो पाती है? यह लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी निर्भर करेगा कि क्या सत्ताधारी दल संसद में दो-तीन बहुमत प्राप्त कर पाता है? फ़िलहाल तो हमें 4 जून, 2024 की प्रतीक्षा है जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

चुनाव में घटती वोटिंग प्रतिशत वर्तमान प्रणाली के प्रति जनता की अनिक्षा व अस्वीकारिता का द्योतक, नीति निर्धारक अभी चेतें

प्रो. वीर बहादुर सिंह

देश में संपन्न हुए विधायक के चुनाव और वर्तमान में हो रहे संसदीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है वह है वोटिंग का प्रतिशत पहले से कम होना। एक तो वर्तमान प्रणाली ही ऐसी है जिसमे अनेक राजनैतिक पार्टिओं/दलों के प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं उसमें भी यदि मतदाता की अनिक्षा वोट डालने की नहीं हो तो चुना हुआ व्यक्ति क्या वहां की जनता का सही प्रतिनिध ठहराया जा सकता है? उस पर यदि 50-55 प्रतिशत ही मतदान हो तो अन्य पार्टिओं के प्रत्याशिओं के होते हुए विजयी मुश्किल से 25-30 प्रतिशत वोट लेकर चुनाव जीतता है। जो चुनाव हार गए उनकी भूमिका शून्य अथवा नगण्य रह जाती है। इतनें कम समर्थन से देश में सरकारें बनती रही हैं, जो सक्रीय लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह न तो लोकतंत्र है और न ही प्रजातंत्र। बल्कि यह खिचड़ी तंत्र है जिसका उल्लेख संविधान में मेरे विचार से नहीं किया हुआ है। बाबा साहब को संभवत: यह अपेक्षा नहीं रही होगी कि देश का मतदाता भविष्य में इतना उदासीन हो जायगा कि अपना वोट ही न दे और दूसरी तरफ राजनैतिक दल मक्खिओं की भांति देश में पनपेंगे और चुनाव को एक मखौल बना कर रख देंगे? उन्हें जीतने वाले व्यक्ति के लिए एक निश्चित वोटों का प्रतिशत पाने के अनिवार्यता को दृणता से प्रतिपादित करना था।

वर्तमान चुनाव पद्धति के प्रति बढ़ती उदासीनता का दूसरा बड़ा कारण प्रत्यार्शी का चुनाव जनता द्वारा न होकर राजनैतिक पार्टियों द्वारा किया जाना भी है। इतना ही नहीं अब तो प्रत्याशी हाईकमान निर्धारित करता है। उसका न पार्टी को पता और न सम्बंधित जनता को। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वोट डालने क्यों जायेगा? जब अमुक कैंडिडेट से उसकी कोई वाकफियत या जानकारी ही नहीं है। उदयपुर में जहाँ लेखक निवास करता है वहां किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अथवा उसके कोई कार्यकर्ता वोटर के पास एक बार भी नहीं आये। पोलिंग बूथ पर जाने पर इ वी ऍम मशीन पर चिपके नाम और चुनाव चिन्हों से कैंडिडेट्स का नाम पता पड़ा। जब चुनाव से पूर्व ऐसे हालात हैं तो चुनाव के बाद किसी के जीतने पर क्या अपेक्षा की जा सकती है? यदि यह चुनाव पार्टी के शीर्षतम नेता के नाम पर लड़ा गया है तो फिर केवल चुनाव चिन्ह ही काफी था नाम की आवश्यकता भी नहीं थी। कुल मिलाकर यह चुनाव अलग ही तरह का है ऐसा पहले कभी किसी विधायक या संसदीय चुनाव में नहीं देखा था।

हमारे चुनाव क्षेत्र की क्या प्राथमिकताएं थी मुझे नहीं मालूम। वर्तमान में मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता क्योंकि सम्पूर्ण चुनाव प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा पार्टी के लिए लड़ा जा रहा है फिर भी प्रत्याशिओं को क्षेत्र की प्राथमिकताएं तो मालूम होनी ही चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने पर सभी विजयी सांसदों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मोदी जी को चलाना पड़ेगा जिसमे प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के बारे में वे दिशा निर्देश देकर एक विस्तृत विकास प्लान बनवायेंगे। प्रधान मंत्री जी की सोच और प्लानिंग के आगे अभी तो सभी नेता और टेक्नोक्रैट्स फ़ैल हैं।

वर्तमान चुनाव प्रचार और चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। बाबा साहब ने उस समय की स्थिति और आवश्यकताओं के मुताबिक अपने सुझाव रखे थे उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि इन नि यमों में भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय ? एक शिक्षित और विवेकशील उन जैसा व्यक्ति ऐसा कभी भी नहीं कह सकता। यहाँ में कहना चाहता हूँ कि संविधान में अनेक परिवर्तन मोदी जी के पूर्व प्रधान मंत्रिओं ने किये हुए हैं। समय के साथ केवल ऐतिहासिक और भौगोलिक बातें नहीं बदलती, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितिओं के बदलते क़ानून, नियम आदि सभी कुछ बदलना पड़ता है जो नहीं बदलते वे स्वत: निष्क्रिय होकर अर्थहीन हो जाते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। ठहरा हुआ पानी भी कुछ समय बाद सड़ जाता है। इसलिए जो लोग संविधान को बदलने का विरोध करते हैं वे कुंठित मानसिकता से ग्रसित और विकास के पक्षधर नहीं हैं। यदि सब कुछ पुराना ही श्रेष्ठ है तो फिर प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, मंत्री, विधायक, सचिव और पुराने पहनने के कपड़े आदि किसी को न बदला जाय? क्या यह श्रेयकर होगा? हम प्रतिदिन विभिन्न समितिओं में बैठकर बदलाव अथवा परिवर्तन ही तो करते हैं। हम सब बालक पैदा हुए, अब बूढ़े हो रहे हैं एक दिन जगह खाली कर चले जायेंगे, हमारा स्थान कोई अन्य ले लेगा। ये परिवर्तन रुकने वाला नहीं, यह तो प्रतिक्षण घटित हो रहा है। इसलिए उन्नति के लिए परिवर्तन वांछनीय है। अत: कोई भी निजी स्वार्थवश इन परिवर्तनों का विरोध के लिए विरोध न करे यह मूर्खता का द्योतक है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के राष्ट्रपति एक उच्च स्तर की क़ानून विदों, शिक्षाविदों, समाजविज्ञानी, कृषक आदि क्षेत्रों से प्रतिष्ठित लोगों की समिति को आमंत्रित कर यह कार्य सोंपें जो सम्पूर्ण व्यवस्था पर अपने सुझाव दे। उन सुझावों पर फिर संसद सम्बाद करे। चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन वोटर/जनता के स्तर पर किया जाय। तत्पश्चात पार्टी उसे अपना कैंडिडेट बना सकती है। वोटर के लिए वोट देना जरुरी हो, नहीं देंनें पर दंड का प्रावधान किया जाय। जीतने के लिए कैंडिडेट को क्षेत्र के कुल वोटर्स का 35 प्रतिशत वोट पाना जरुरी किया जाय। आरक्षित चुनाव क्षेत्र समाप्त किये जाय अब 70 वर्षों बाद इस प्रावधान का कोई औचित्य नहीं रह गया है। देश में उचित तो यह रहेगा कि पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को यथा संभव नही अपनाया जाय क्योंकि पार्टी सिस्टम भ्रष्टाचार का उद्गम होता है। एक रूसी समाज शास्त्री ने अपनी पुस्तक में इस बात को काफी बल पूर्वक उद्घाटित किया है। 1952 के लोकसभा चुनाव में राजनैतिक पार्टियां तो खास सख्या में नहीं थी कोंस के अलावा ; निर्दलीय ही अधिक चुनाव लड़े थे। इसलिए पार्टी विहीन लोग निर्दलीय होकर चुनाव लड़ें और जीतने पर संसद में अपना नेता अथवा प्रधान मंत्री चुने।

पार्टी प्रणाली यदि रखना ही जरुरी हो तो पार्टिओं की संख्या को सीमित किया जाय। प्रदेश स्तर और देश स्तर की पार्टियां चिन्हित हों, प्रदेश स्तर की पार्टी के प्रत्याशी सांसद के चुनाव के लिए प्रत्याशी न बन सकें। प्रत्येक दल में प्रत्यार्शी का चुनाव पहले सम्बंधित जनता करे न कि पार्टी पदाधिकारी। चुनाव् लड़ने वाले व्यक्ति को न्यूनतम स्नातक होना वांछित हो। इसके अतिरिक्त छ: माह की फौज की ट्रेनिंग का अनुभव चुनाव के लिए आवश्यक किया जाये। चुनाव लड़ने वाले की अपराधिक प्रष्ट भूमि नहीं हो। चाल-चलन, व्यवहारिकता आदि भी सरल और ग्राह्य हो। सामाजिक क्षेत्र के अनुभव को चयन में वरीयता मिले। इनके अतितिक्त और बहुतेरे सुझाव रखे जा सकते हैं यदि पहले प्रस्तावित मॉडल स्वीकार्य हो। कैंडिडेट के चनाव जीतने के बाद यदि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलग्न पाया जाय तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाये। वर्तमान प्रणाली में डेल गए वोटों में यदि नोटा का प्रतिशत दस हो जाय तब वह चुनाव कैंसिल कर दिया जाय।

सांसद अथवा विधायक चुनने के बाद उनके लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया जाय जहाँ कोड ऑफ़ कंडक्ट की समुचित जानकारी सभी सदस्यों को मिले। चुनाव में फ्री वीज की घोषनायें वर्जित हों, नहीं मानने वालों पर सख्त कार्यवाही हो। जनता को अथवा जनता के किसी खास वर्ग को कोई भी फ्री सुविधा केवल सदन में पारित कर दी जाय अन्यथा नहीं और उसका बजट में प्रावधान भी किया जावे। चुनाव प्रचार में भी किसी भी प्रकार का लालच घोषित न हो। मेरा सुझाव है वर्तमान में चुनाव प्रणाली में विस्तृत स्तर पर परिवर्तन अब समय की मांग है, अन्यथा भविष्य के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत और अधिक गिरने की प्रवल सम्भावना है। समय रहते ही संभलना बुद्धिमानी है।

-प्रो. वीर बहादुर सिंह,
सेवा निवृत कुलपति,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय,
उदयपुर

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित

राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों स्वर्ण पदक प्रदान किये।

बीकानेर, (निसं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी वैदिक भारत के शाश्वत सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति के अनुकूल हों। राज्यपाल मिश्र सोमवार को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों को तकनीकी शिक्षा में प्रधानता देने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में इस तरह के शोध और अनुसंधान हों जिससे देश के संसाधनों से स्थानीय उत्पादों का निर्माण हो सके।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान की मौलिक परंपरा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के अनुरूप भारतीय पारंपरिक ज्ञान को केंद्र में रखकर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत की शिक्षा का दृष्टिकोण विज्ञान प्रौद्योगिकी भारतीय दर्शन और नवाचार प्रतीक के रूप में खड़ा है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने चिंता जताते हुए कहा कि आज भी हमारे यहां वैज्ञानिक तकनीकी और चिकित्सकीय शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन

■ मानवीय मूल्यों को तकनीकी शिक्षा में प्रधानता देने के लिए चिंतन की आवश्यकता : राज्यपाल मिश्र

एंड इंटरप्रिटेशन की पहल की गई है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी और चिकित्सकीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों को सुलभ करवाना है। राज्यपाल ने बीकानेर साहित्यिक परम्परा को रेखांकित किया और परम्परागत ज्ञान को आगे बढ़ाने में डॉ. छगन मोहता, हरीश भादाणी, रामदेव आचार्य और यादवेंद्र शर्मा जैसे साहित्यकारों के योगदान का स्मरण किया।

राज्यपाल ने कहा कि बीकानेर में प्रौद्योगिकी विकास का भी अहम इतिहास रहा है। मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें, जिसमें हमारे प्राचीन ज्ञान के संदर्भों के साथ आधुनिक वैश्विक ज्ञान का समन्वय हो। मिश्र ने कहा कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान दर्शन और कौशल आधारित पाठ्यक्रम के साथ कौशल निर्माण और नैतिक उन्नयन से जुड़े पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। आने वाले समय में इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में से 11 बालिकाएं हैं। यह संख्या इस बात की घोतक है कि अवसर मिलने पर बालिकाएं अपने भविष्य के साथ राष्ट्र के भविष्य को भी सुदृढ़ बना सकती हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अम्बरीष शरण विद्यार्थी ने स्वागत उद्बोधन दिया एवं नवाचारों व प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 बीआर्क, बी डिजाइन बीटेक एमटेक एमबी, एमसी, पाठयक्रम सहित कुल 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। वहीं बीटेक की 2 हजार 529 बीटेक ऑनर्स की 18एमबीए की 426 एमसीए की 139 एमटेक की 42 बीआर्क की 3 बी.डिजाइन की 14 सहित कुल 3 हजार 171 डिग्रियां वितरित की। इससे पहले विश्वविद्यालय परिसर पहुंचने पर राज्यपाल का गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। दीक्षांत समारोह की शुरुआत दीक्षांत परेड से हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। कुलसचिव रामकिशोर मीणा ने आभार जताया।

हिंदुस्तान जिंक को अवार्ड मिला

उदयपुर, (निसं)। वेदांता समूह की कंपनी और देश की अग्रणी जस्ता-सीसा-चांदी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक ने सबसे बड़े एकीकृत चांदी निर्माता के लिए प्रतिष्ठित इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

यह मान्यता तब मिली है जब हिंदुस्तान जिंक को द सिल्वर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित विश्व सिल्वर सर्वे 2024 द्वारा 3 सबसे बडे चांदी उत्पादक का स्थान दिया गया है। यह पुरस्कार चांदी विनिर्माण क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और सस्टेनेबल प्रणाली के प्रति हिंदुस्तान जिंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी की साल-दर-साल 5 प्रतिशत की लगातार वृद्धि का श्रेय बढ़ते अयस्क उत्पादन और उन्नत ग्रेड को दिया है, जिससे वैश्विक चांदी बाजार में एक प्रमुख कंपनी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि हम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त कर गौरवान्वित हैं, जो हमारे संचालन में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024 में 746 टन के साथ, हिंदुस्तान जिंक तीसरे सबसे बड़े उत्पादक तक पहुंच गई है। यह विकास को बढ़ावा देने और स्थायी मूल्य बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। यह मान्यता हमारी उत्कृष्टता की निरंतर खोज और हमारी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता पर हमारे फोकस को रेखांकित करती है। हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द खदान विश्व की दूसरी सबसे अधिक चांदी उत्पादक खदान है, जो चांदी उद्योग में कंपनी के महत्वपूर्ण योगदान को और बढ़ाती है।

राशिफल मंगलवार 30 अप्रेल, 2024

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरा षाढ़ा नक्षत्र रात्रि 4:09 तक, साध्य योग रात्रि 10:24 तक, वणिज करण प्रात: 7:06 तक, चन्द्रमा दिन 10:37 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग प्रात: 7:06 से रात्रि 4:09 तक है। रवियोग रात्रि 4:09 से आरम्भ होगा। आज भद्रा प्रात: 7:06 से सांय 6:26 तक रहेगी। शुक्र अस्त पूर्व रात्रि 3:30 पर होगा। आज सप्तमी तिथि का क्षय हुआ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:09 से 10:46 तक, लाभ-अमृत 10:46 से 2:02 तक, शुभ 3:39 से 5:17 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 6:55

मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

वृष

आज नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

कर्क

स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होने लगेंगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित शुभ संदेश प्राप्त होंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

कन्या

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

तुला

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों, भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आय में वृद्धि होगी।

धनु

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

आर्थिक/वित्तिय मामलों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।